

R 217 - 15/08 फ़िरात



लखमति तन्य चरकू शाहू, निवासी ग्राम कंजी, तहो सिंगरौली, जिला (छत्तीसगढ़ में)
सिंगरौली । मोप्र० ।

----- आदेटक/पुनरीक्षणकर्ता/निगराकार ।

बनाम

1- मल्ह तन्य चरकू शाहू, निवासी ग्राम करामी, तहो सिंगरौली^{जिला}, जिला सिंगरौली । मोप्र० ।
2- रामारौला तन्य चरकू शाहू, निवासी ग्राम कंजी, तहो सिंगरौली । मोप्र० ।

----- अनादेटकगण /गैर निगराकार

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, खालियर

प्रकरण क्रमांक 713-तीन/08

जिला-सिगरोली

स्थान तथा
दिनांक

मर्यादी तथा आदेश

पक्षकारों पर
अभिमानिको आईडे
के हस्ताक्षर

2-6-14

आवेदक की ओर से कोई उप नहीं। अना की ओर से श्री के.के.द्वियेदी, अभि. उप। आवेदक अभि. द्वारा दिनांक 25-6-08 को स्थगन प्राप्त किया था। तदोपरान्त आवेदक के अनुपस्थित होने के कारण प्रकरण अदम में खारिज कर दिया गया। आवेदक द्वारा रेस्टो.प्रक. 1387-पांच/08 के अनुसार प्रकरण पुनः नम्बर पर लिया गया। आवेदक अभि. कुछ पश्चियों तक उपस्थित रहने के उपरान्त पुनः अनुपस्थित हो गये तथा आज भी अनुपस्थित हैं।

प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक को मात्र स्थगन प्राप्त करने के संबंध में रुचि थी प्रकरण के निराकरण में नहीं। अतः आवेदक की रुचि के अभाव में यह प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है। दाखिल रिकार्ड हो।

(एम.के.सिंह)
सवार्य